

24/1/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त प्रकटन में मूल पत्रावली निर्दिष्ट हो जाने से प्रार्थी के प्राठपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थी के प्राठपत्र की कार्यवाही अभी पर प्र समाप्त की जाती है। प्रकटन में पूर्व में जारी एकपत्रीय अत्याचार निषेधाज्ञा दिनांक 29/08/2022 को खतरा निराह माना जाये पत्रावली के सल शूमार होकर डी नम्बर से कम है।</p> <p><b>उपखंड अधिकारी पदेन</b> सहायक कलक्टर करेडा</p>	

